उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

नीताई राम वगै0
बनाम
लक्ष्मण राम

आदेश फलक तारीख.....से.....तक।जिला – गुमला

वाद सं0 :– 03/2017–18

वाद का प्रकार :– रेभेन्यु रिवीजन (Revenu Revision)

श्री नीताई राम वो गौरा राम पिता–स्व0 इन्द्रनाथ राम सभी ग्राम – टांगर सिकवार, थाना – घाघरा जिला – गुमला द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला के विविध वाद सं0 – 02/2012–13 में दिनांक – 27.02.2017 के पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रेभेन्यु रिवीजन वाद समर्पित किया गया। चूँकि, उक्त रेभेन्यु रिवीजन निर्धारित समयावधि के बाहर दाखिल किया गया, इसलिए उनके द्वारा Limitation Act की धारा – 05 के तहत Delay Condonation के आवेदन पर विचार करते हुए तदोपरांत विलंब क्षांत करते हुए रेभेन्यु रिवीजन सुनवाई हेतु स्वीकृत किया गया।

तद्नुसार, संबंधित उत्तरवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। दोनों पक्षों द्वारा वाद सुनवाई क्रम में अपने विद्य अधिवक्ता के माध्यम से वैधानिक व तर्कसंगत पक्षों का प्रस्तुतीकरण किया गया। उभय पक्षों के दलीलों को सुनने के उपरांत उन्हें Written Arguments with relevant documents/Rullings समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अपीलार्थी का पक्ष :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा – टांगर सिकवार थाना – घाघरा जिला – गुमला का खाता सं0 – 169, कुल प्लॉट–15 कुल रकबा – 9.63 ए0 भूमि का खतियानी रैयत मनबोध राम पिता– मनु राम के नाम पर आर0 एस0 खतियान बना है। अपीलार्थी के दादा चन्दरु राम पिता–स्व0 हरखु राम दिनांक 02.05.1956 को जमीन खरीदकर दखलकार हुए। उक्त जमीन पर उत्तरवादी द्वारा सन,2012 में वाद लाना बिलकुल ही विधि संगत नहीं है। खतियानी रैयत मनबोध राम के तीन पुत्र – बिरबल राम, मोहना राम एवं जितु राम हुए। ये तीनों पुत्र नावल्द मृत हो गयें। खतियानी रैयत मनबोध राम पिता–स्व0 मनु राम अपने जीवन काल मे अपीलार्थी के दादा चन्दरु राम पिता– स्व0 हरखु राम को सादा पट्टा वन्दोबस्त दिनांक 02.05.1956 को 5000/(पांच हजार) रुपये लेकर जमीन खाता नं0–169 रकबा 9.63 एकड़ जमीन को बिक्री कर दिया। अपीलार्थी के दादा चन्दरु राम के मृत्यु होने के उपरान्त अपीलार्थी के पिता इन्द्रनाथ राम पिता– स्व0 चन्दरु राम अंचल कार्यालय घाघरा से अपने नाम पर दाखिल– खारिज वर्ष 1986–87 में कराकर रसीद कटाते आ रहे हैं। वर्तमान में ऑन लाईन रसीद भी इन्दरनाथ राम के नाम से कटते आ रही है। जमीन पर अपीलार्थी के दादा 62 वर्ष से दखलकार हैं। जमीन का दखल–कब्जा होने के कारण हाल सर्वे का नापी में बन्डा पर्चा भी बना है। खतियानी रैयत मनबोध राम के पिता मनु राम का उतरवादी के दादा कैला राम नहीं है। जिसका प्रमाण स्वरुप खाता नं0–166 का खतियान समर्पित किया गया है। उतरवादी का दादा कैला राम का उक्त वाद में दर्ज खाता–169 का खतियानी रैयत मनबोध

Scanned with CamScanner

राम के पिता मनु राम से किसी भी तरह का रिस्ता नहीं है, और न ही वंशवृक्ष में आते हैं। यह कि निम्न न्यायालय के द्वारा कैला राम वो मनु राम को भाई मानते हुए आदेश दिया गया है जो गलत है। अपीलार्थी के दादा चन्दरु राम एवं मनबोध राम दोनों ही बरई जाति के हैं, जो पिछड़ी जाति में आता है। बरई जाति का छो0 का0 अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत जमीन खरीद बिकी हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला द्वारा अपने आदेश में धारा–46 का उल्लंधन होने की बात लिखा गया है जो गलत है। उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध करते हैं।

अपीलार्थी के द्वारा निम्नलिखत कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है:–

1.कुर्सीनामा की छाया प्रति (मुखिया द्वारा निर्गत)
2.खाता नं0–166 की छाया प्रति
3.खाता नं0–120 की छाया प्रति
4.पंजी ii की छाया प्रति
5.जति सूची
6.जति प्रमाण पत्र निताई राम का

उत्तरवादी का पक्ष

उत्तरवादी के विद्य अधिवक्ता ने अपने लिखित बयान में उद्धृत किए हैं कि प्रश्नगत भूमि मौजा– टांगरसिकवार थाना–घाघरा जिला– गुमला के खाता सं0 – 169 प्लॉट नं0–112,116,351,615,619,658,673,682,696,745,802,805,810,828 एवं प्लॉट नं0– 635 रकबा कमशः 1.34, 0.34 ,0.30, 0.34, 0.96 ,0.50, 0.69, 0.65, 0.91, 0.72, 0.10, 0.07, 0.28, 1.33 एवं 1.10 कुल रकबा 9.63 एकड़ है, जिसके आर0 एस0 खतियान मनबोध राम वल्द मनु राम के नाम से बना है। अपीलार्थी खतियानी रैयत मनबोध राम के वंशज नहीं है। खतियानी रैयत के तीन पुत्र कमशः बिरबल राम, मोहन राम एवं जीतु राम थे जो नावल्द मृत हो गये। उसके मृत्यु के उपरान्त पूर्ण भूमि का मालिकाना हक मनबोध राम के भाई कैला राम के वंशजों का चला गया है। यह कि मनबोध राम के द्वारा किसी तरह का हस्तांतरण उक्त भूमि के संबध्ध में किसी भी व्यक्ति को नहीं किया गया है एवं 12.05.1956 ई0 को सादा सेल डीड की बात अपीलार्थी के द्वारा लिखा गया है जो फर्जी है। उत्तरवादी के पूर्वज अनुसूचित जाति के हैं जिनका भूमि का हस्तांतरण सी0 एन0 टी0 के अन्तर्गत बिना अनुमति के हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं उक्त हस्तांतरण में कोई अनुमति नही हुआ है। भूमि हस्तांतरण एक्ट के अन्तर्गत 100/–(एक सौ रुपये से अधिक की कीमती भूमि की खरीदगी में निबंधन आवश्यक है। इस मामले पर अपीलार्थी सादा सेल डीड में भूमि का कीमत 5000/ रुपया दर्शाया है जो निबंधित नहीं है। पंजी ii में अपीलार्थी के पिता इन्द्रनाथ राम के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया गया था परन्तु पंजी ii में किस आधार पर नाम दर्ज किया गया अंकित नहीं है। कोई दाखिल खारिज वाद केस नं0 का आदेश का हवाला नहीं है। कर्मचारी को मैनेज कर फर्जी तरीके से पंजी ii में नाम अंकित किया गया था। उच्च न्यायालय का अनेकों निर्णय इस संबंध में है कि बिना सक्ष्म पदाधिकारी के आदेश के पंजी ii में नाम करना गलत हैं सिर्फ मालगुजारी रसीद निर्गत

Scanned with CamScanner

करा लेने से कोई भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकता है। विवादवाली जमीन पर कभी भी अपीलार्थी का दखल–कब्जा नहीं रहा है। उत्तरवादी हमेशा से खेती वारी करते आ रहे हैं। हाल सर्वे में बंडा पर्चा फर्जी तरीके से अपलार्थीगण प्राप्त किये हैं। वंडा पर्चा से भी हकीयत का कोई संबंध नहीं है। अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर हकीयत है ही नही तो दखल का प्रश्न नहीं उठता है। उत्तरवादी को पता ही नहीं था कि अपीलार्थी के पूर्वज उक्त भूमि के पंजी ii में फर्जी तरीके से नाम दर्ज करवा दिये हैं। वर्ष 2012 में पता चला तव उत्तरवादी घाघरा अंचलाधिकारी से बात रखी संतोष जनक उत्तर नहीं मिला तव भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला के न्यायालय में विविध वाद 02/2012–13 दाखिल किया जिसमें हर विन्दु पर गंभीरता से विचार करते हुए दिनांक 27.02.2017 को आदेश पारित किये और अपीलार्थी के पिता के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करते हुए उत्तरवादी के नाम मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किये जो न्याय हित में विधि के अनुरुप की गई है। यह कि न्यायालय द्वारा अनेकों आदेश में निर्णय दी गई है कि फर्जी तरीके से कोई जमाबंदी कायम की गई है तो उसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। लम्बे समय से जमाबंदी चलते रहना वाधित नहीं होगा। यह कि निम्न न्यायलय द्वारा अपीलार्थी को पूरा मौका दिया परन्तु हस्तांतरण का वैद्य कागजात जमा नहीं की गई।

उत्तरवादी के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति संलग्न किया गया है:–

1-Hon'ble AMRESHWAR SAHAY and R.R,PRASAD,JJ के कोर्ट में निर्णित जगदेव महतो बनाम आयुक्त, हजारीबाग के मामले में JLJ,2009 की ऑथोरिटी।

उत्तरवादी द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि सम्मत बताते हुए अपीलार्थी का दावा खाजिर करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक पहलुओं एवं कागजातों का अवलोकन व समीक्षा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला के विविध वाद सं0 – 02/2012–13 में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में किया। उपरोक्त विवेचित तथ्यों, संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के परित आदेश के साथ दोनों पक्षों द्वारा समर्पित किए गए विभिन्न रूलिंग्स के आधार पर निष्कर्ष है कि अपीलार्थी का दावा प्रश्नगत भूमि में सादा बिक्री पट्टा दिनांक 02.05.1956 के द्वारा अपीलार्थी अपने दखल को सम्पुष्ट करने के उदेशय से वर्त्तमान सर्वे का बण्डा पर्चा का हवाला दिया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि में जमीनदारी समाप्ति के पश्चात अपीलार्थीगण का दखल वर्तमान समय तक है साथ ही निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के नाम अंचल कार्यालय में जमावंदी वर्ष 1986–87 से कायम है तथ वर्तमान समय में उन्हीं के द्वारा सरकार को मालगुजारी अदा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों के बहस में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत के कोई वंशज नहीं है तथा उत्त्रवादी को प्रश्नगत जमीन का खतियानी रैयत का भईयाद होने का दावा करते हुए निम्न न्यायालय में विविध वाद दाखिल किया गया है, परन्तु ऐसा कोई भी स्पष्ट साक्ष्य उनके द्वारा दाखिल नहीं किया गया है जिसे यह वात प्रमाणित हो कि उत्तरवादी प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत के भईयाद हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी प्रकार का हक दखल घोषित करने का

Scanned with CamScanner

अथवा किसी प्रकार का पट्टा को नाजायज घोषित करने का शाक्ति प्रदत नहीं है। उत्तरवादी प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत मनबोध राम वल्द मनु राम का वंशज है या नहीं इस तथ्य का भी निर्णय Summary Proceeding में नहीं हो सकता है इसके लिये भी सक्ष्म न्यायालय व्यवहार न्यायायल है। माननीय झारखंड़ उच्च न्यायालय में जगदेव महतो बनाम आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर वाद में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी पक्षकार के नाम से यदि जमाबंदी कायम हो तो उससे उसे हक अधिकारी प्रश्नगत भूमि में नहीं प्राप्त हो जाता है, तथा जिस पक्षकार का नाम जमाबंदी कायम नहीं है उसका भी प्रश्नगत भूमि से हक दखल सामाप्त नहीं हो जाता है। पिड़ित पक्षकार को प्रश्नगत जमीन में अपना हक अधिकारी दखल घोषित करने के लिये व्यवहार न्यायालय का शरण लेना श्रेष्ठकर होगा।

अतः उपयुर्क्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि का अपीलार्थी के नाम कायम जमाबंदी को यथावत रखते हुए निम्न न्यायालय के विविध वाद संख्या 02/2012–13 में पारित आदेश को खारिज किया जाता है तथा उत्तरवादी को निर्देश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि में अपना हक अधिकार वो दखल घोषित कराने के लिये सक्ष्म न्यायालय की शरण ले सकते हैं।

कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेज दें।

लेखापित एवं संशोधित

25/03/2015

उपायुक्त,
गुमला

25/03/2015

उपायुक्त,
गुमला

Scanned with CamScanner